बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक-- वि०प्रा०(III)ब--आ--05 / 2014--   / पटना, दिनांक--

प्रेषक,

ओम प्रकाश राय,
अपर सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना--13 एवं अस्थावां / रा० पो० पटना--7, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, गया, छपरा, गोपालगंज, कटिहार, लखीसराय, वैशाली, डिहरी--ऑन--सोन / राजकीय महिला पोलिटेकनिक पटना एवं मुजफ्फरपुर।

विषय :-- वित्तीय वर्ष 2015--16 में आयोजना भिन्न (गैर योजना) बजट "मुख्य शीर्ष --2203--तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष--00, लघुशीर्ष-- 105-- बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या--43, उपशीर्ष --0001-- प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड-- एन 2203001050001) के अधीन द्वितीय एवं अन्तिम किस्त का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, वित्तीय वर्ष 2015--16 में पूर्व निर्गत आवंटनादेश संख्या-- 3(आ), दिनांक 21.05.2015 के क्रम में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन एवं भत्ते सहित अन्य विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से दिनांक 31 मार्च 2016 तक नियमानुसार व्यय हेतु विभागान्तर्गत नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना--13 एवं अस्थावां / रा० पो० पटना--7, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बरौनी, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, गया, छपरा, गोपालगंज, कटिहार, लखीसराय, वैशाली, डिहरी--ऑन--सोन / राजकीय महिला पोलिटेकनिक पटना एवं मुजफ्फरपुर को द्वितीय एवं अन्तिम किस्त के रूप में कुल रू० 19,54,25,000=00 (उन्नीस करोड़ चौवन लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र का आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान किया जाता है।

2. संबंधित संस्थान अपने नाम के स्तम्भ में अंकित विषयशीर्षवार आवंटित राशि की सीमा तक व्यय करेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक--2561 / वि(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक--396, दिनांक 24.04.2015 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा--निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

4. उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मामलों का भुगतान तथा वित्त विभाग के पत्रांक--3429, दिनांक 01.04.2015 के आलोक में वर्ष 2014--15 में किए गए कार्यों तथा ली गई आपूर्तियों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जा सकेगा।

5. उक्त आवंटन में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नवस्थापित संस्थानों यथा न० रा० पो० अस्थावां, रा०पो० लखीसराय / वैशाली एवं डिहरी--ऑन--सोन में अनुबंध के आधार पर रखे गए सुरक्षा गार्डों को उनके द्वारा सम्पादित कार्यों के लिए निर्धारित दर से मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा।

6. उक्त आवंटन में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषयशीर्ष में आवंटित राशि से शिक्षकों एवं तकनीकी / प्रशासनिक सहायक कर्मियों के सृजित पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर अनुबंध के आधार पर विभाग द्वारा चयनित एवं कार्यरत शिक्षकों एवं तकनीकी / प्रशासनिक सहायक कर्मियों को अनुबंधित अवधि तक उनके द्वारा सम्पादित कार्यो के लिए निर्धारित दर से मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा।

7. उक्त आवंटन में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषयशीर्ष में आवंटित राशि से राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक--479, दिनांक 28.01.2014 के आलोक में संबंधित अंशकालीन व्याख्याताओं के

बकाये मानदेय का भुगतान नियमानुसार उन वर्षों के लिए किया जायेगा जिन वर्षों के लिए अंशकालीन व्यख्याताओं की सेवा प्राप्त करने से संबंधित विभागीय आदेश निर्गत है।

8. उक्त आवंटन में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषयशीर्ष में आवंटित राशि से अतिथि शिक्षकों, अनुदेशकों तथा प्रयोगशाला सहायकों का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

9. उक्त आवंटन में प्रशिक्षण व्यय में आवंटित राशि से संबंधित कर्मियों को उनके द्वारा प्रशिक्षण में व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

10. उक्त आवंटित राशि से नियमित वेतन एवं भत्ते के भुगतान के उपरान्त राशि शेष रहने पर अन्य बकाये वेतन एवं भत्ते का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा।

11. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षो में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि किसी विषयशीर्ष में राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का यथाशीध्र सकारण प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

12. यदि किसी विषयशीर्ष में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य के साथ वांछित राशि की मांग हेतु अनुरोध किया जाय।

13. विभिन्न विषय शीर्षो में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित आयोजना भिन्न, कोड संख्या सहित शीर्षो का नाम, मॉग संख्या, विपत्र कोड तथा कुट संख्या सहित विषयशीर्षो के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

14. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक–280/वि0, दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा–निर्देशों का आक्षरशः अनुपालन किया जाय।

15. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें।

16. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0–यथावर्णित।
1(एक) पृष्ठ में।

विश्वासभाजन
ह0/–
(ओम प्रकाश राय)
अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III)ब–आ–05/2014 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰) बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथावर्णित।
1(एक) पृष्ठ में।

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(III)ब–आ–05/2014 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, पटना/ बिहार शरीफ/ मुजफ्फरपुर/दरभंगा/ बरौनी (बेगुसराय)/ पूर्णिया/सहरसा/भागलपुर/गया/छपरा/ गोपालगंज/ कटिहार/लखीसराय/ वैशाली/डिहरी–ऑन–सोन/ उप कोषागार, गुलजारबाग, पटना एवं सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0–यथावर्णित।
1(एक) पृष्ठ में।

ह0/–
अपर सचिव

ज्ञापांक -- वि०प्रा०(III)ब--आ--05 / 2014 / पटना, दिनांक--

प्रतिलिपि:-- : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग (लि०) कं०, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०--यथा वर्णित
1(एक) पृष्ठ में।

ह0 / --
अपर सचिव

ज्ञापांक -- वि०प्रा०(III)ब--आ--05 / 2014 / पटना, दिनांक--

प्रतिलिपि:-- : माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / उप निदेशक (यो०) / प्रशाखा पदाधिकारी--3 / एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शखा, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०--यथा वर्णित
1(एक) पृष्ठ में।

ह0 / --
अपर सचिव

ज्ञापांक : वि०प्रा०(III)ब--आ--05 / 2014-- 23(आ1) / पटना, दिनांक : 6.8.2015.

प्रतिलिपि : श्री संजय कुमार, आई०टी० मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को वित्त विभाग के पत्रांक--3432, दिनांक 01.04.2015 के आलोक में कार्रवाई तथा संबंधित संस्थानों को ई--मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथावर्णित।
1(एक) पृष्ठ में।

अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार

वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजन भिन्न (गैर योजना) बजट के "मुख्य शीर्ष –2203–तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष– 105–बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, उपशीर्ष –0001– प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" के अधीन विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों को वेतन एवं भत्ते तथा अन्य विषयशीर्षों में 31 मार्च 2016 तक नियमानुसार व्यय हेतु द्वितीय एवं अन्तिम किस्त के आवंटन की विवरणी:–

मांग संख्या – 43, विपत्र कोड – एन 2203001050001 (राशि रूपये में)

विषय शीर्ष	न. रा. पो. पटना–13	रा. पो. पटना–7	रा. पो. मुजफ्फरपुर	रा. पो. दरभंगा	रा. पो. बरौनी	रा. पो. पूर्णिया	रा. पो. सहरसा	रा. पो. भागलपुर	रा. पो. गया	रा. पो. छपरा	रा. पो. गोपालगंज	रा. पो. कटिहार	रा. पो. लखीसराय	रा. पो. वैशाली	न. रा. पो. अस्थावाँ	रा. पो. डिहरी–ऑन सोन	रा. म. पो. पटना	रा. म. पो. मुजफ्फरपुर	द्वितीय एवं अंतिम किस्त में आवंटित कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01 01 वेतन	7738000	12950000	8244000	5600000	4705000	3409000	6458000	4329000	3468000	1680000	313000	550000	925000	925000	925000	800000	3976000	2749000	69744000
01 02 विशेष वेतन	0	16000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21000
01 03 जी. या. भत्ता	9112000	15281000	9730000	6500000	5552000	4023000	6987000	4930000	4093000	1983000	370000	649000	1092000	1092000	1092000	944000	4673000	3225000	81328000
01 04 मकान किराया भत्ता	1573000	1731000	766000	600000	255000	251000	593000	387000	258000	72000	29000	103000	93000	93000	93000	80000	830000	277000	8084000
01 05 परिवहन भत्ता	183000	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	443000
01 06 चिकित्सा भत्ता	58000	95000	65000	70000	39000	32000	57000	38000	39000	18000	7000	6000	7000	7000	7000	5000	42000	18000	610000
01 07 अन्य भत्ता	14000	15000	9000	8000	3000	2000	5000	4000	3000	3000	1000	0	1000	1000	1000	1000	7000	3000	81000
योग– वेतन एवं भत्ते	**18678000**	**30318000**	**18819000**	**12778000**	**10554000**	**7717000**	**14100000**	**9688000**	**7861000**	**3756000**	**720000**	**1308000**	**2118000**	**2118000**	**2118000**	**1830000**	9558000	6272000	**160311000**
06 01 चिकित्सा प्रति.	0	0	0	0	0	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73000
11 01 यात्रा व्यय	2000	0	15000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	3000	3000	8000	5000	15000	19000	106000
13 01 कार्यालय व्यय	30000	25000	30000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	50000	25000	60000	60000	60000	60000	60000	30000	50000	690000
13 02 वाहन का इंधन एवं रखरखाव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	15000	0	0	0	0	0	0	0	35000
13 03 दूरभाष	6000	0	6000	0	5000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5000	5000	93000
13 04 विद्युत प्रभार	500000	500000	400000	400000	375000	204000	400000	400000	300000	300000	300000	600000	300000	300000	200000	200000	300000	198000	6177000
13 06 वर्दी/ पोशाक	36000	14000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	5000	9000	3000	3000	0	0	0	0	10000	5000	133000
14 01 किराया, महसूल एवं कर	0	750000	150000	50000	0	54000	85000	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000
20 03 प्रशिक्षण व्यय	10000	0	0	0	3000	0	3000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	50000
21 01 सामग्री एवं पूर्तियां	20000	20000	25000	20000	20000	20000	25000	25000	20000	25000	20000	20000	30000	30000	30000	30000	25000	25000	430000
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	30000	0	35000	35000	30000	35000	35000	30000	35000	35000	30000	32000	30000	30000	30000	30000	35000	30000	547000
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	3600000	1200000	1800000	1000000	750000	1450000	1332000	3864000	1200000	1420000	1200000	1100000	400000	400000	400000	400000	790000	3274000	25580000
कुल योग	**22912000**	**32827000**	**21288000**	**14320000**	**11774000**	**9596000**	**16023000**	**14161000**	**9486000**	**5625000**	**2323000**	**3133000**	**2947000**	**2947000**	**2852000**	**2561000**	**10772000**	**9878000**	**195425000**
	(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ङ)	(च)	(छ)	(ज)	(झ)	(ञ)	(त)	(थ)	(द)	(ध)	(न)	(य)	(र)	(ल)	(व)

(क) दो करोड़ उनतीस लाख बारह हजार रूपये मात्र

(घ) एक करोड़ तेतालीस लाख बत्तीस हजार रूपये मात्र।

(छ) एक करोड़ साठ लाख तेईस हजार रूपये मात्र।

(ञ) छप्पन लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र।

(द) उनतीस लाख सैंतालीस हजार रूपये मात्र।

(य) पच्चीस लाख एकसठ हजार रूपये मात्र।

(व) उन्नीस करोड़ चौदन लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र।

(ख) तीन करोड़ अठाइस लाख सताइस हजार रूपये मात्र।

(ङ) एक करोड़ सत्रह लाख चौहत्तर हजार रूपये मात्र।

(ज) एक करोड़ एकतालीस लाख एकसठ हजार रूपये मात्र।

(त) तेईस लाख तेईस हजार रूपये मात्र।

(ध) उनतीस लाख सैंतालीस हजार रूपये मात्र।

(र) एक करोड़ सात लाख बहत्तर हजार रूपये मात्र।

(ग) दो करोड़ बारह लाख अठासी हजार रूपये मात्र।

(च) पंचानवे लाख छियानवे हजार रूपये मात्र।

(झ) चौरानवे लाख छियासी हजार रूपये मात्र।

(थ) इकतीस लाख तैंतीस हजार रूपये मात्र।

(न) अठाईस लाख बावन हजार रूपये मात्र।

(ल) अंठानवे लाख अठहत्तर हजार रूपये मात्र।

अपर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना
5/8/15